न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
114/13	18.07.2013	26.02.2018
123/14	01.08.2014	26.02.2018

बइजलास :– तारामती वैष्णव (आर.ए.एस.)

उनवान

सरस्वती बाई पत्नी प्रभूलाल जाति मीणा निवासी चोमा कोट तहसील दीगोद जिला कोटा

–प्रार्थी

बनाम

1. मोडसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
2. विजय सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
3. मीनू पुत्री महेन्द्र सिंह
4. पिंकी पुत्री महेन्द्र सिंह
5. डिम्पल पुत्री महेन्द्र सिंह
6. करिश्मा पुत्री महेन्द्र सिंह नाबालिगान जरिये वली माता उर्मिला कंवर
7. उर्मिला कंवर बेवा महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बमूली हाल निवास शिवपुरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास, कोटा जिला कोटा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिपक्षीगण

उपस्थित अधिवक्तागण–

1. श्री मायाराम स्वामी प्रार्थी की ओर से
2. श्री नरेन्द्र नंदवाना, श्री दीनदयाल सैन प्रतिपक्षीगण की ओर से

उनवान

मोडसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी बमूली तहसील दीगोद जिला कोटा

–प्रार्थी

बनाम

1. सरस्वती बाई पत्नी प्रभूलाल जाति मीणा निवासी चोमा कोट तहसील दीगोद जिला कोटा
2. विजय सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
3. मीनू पुत्री महेन्द्र सिंह
4. पिंकी पुत्री महेन्द्र सिंह
5. डिम्पल पुत्री महेन्द्र सिंह
6. करिश्मा पुत्री महेन्द्र सिंह नाबालिगान जरिये वली माता उर्मिला कंवर

7. उर्मिला कंवर बेवा महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासीगण बमूली तहसील दीगोद जिला कोटा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

—प्रतिपक्षीगण

उपस्थित अधिवक्तागण—

1. श्री दीनदयाल सैन प्रार्थी की ओर से
2. श्री मायाराम स्वामी, श्री नरेन्द्र नंदवान, प्रतिपक्षीगण की ओर से

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

—:: आदेश ::—

प्रार्थी ने जरिये विद्वान अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस कथन के साथ पेश किया कि प्रार्थीनी एवं प्रतिपक्षी नं0 1 ता 7 के शामलाती कब्जें काश्त की आराजी ग्राम बमूली तहसील दीगोद जिला कोटा में ख0नं0 95/386 रकबा 0.31 हे0, ख0नं0 318 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 322 रकबा 0.87 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.28 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि प्रार्थीनी व प्रतिपक्षी नं0 1 ता 7 के शामलाती खातें में दर्ज चली आ रही थी। जिसमें प्रार्थीनी का 1/4 हिस्सा व प्रतिपक्षी नं0 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिपक्षी नं0 2 ता 7 का 1/2 हिस्सा है। प्रार्थीनी एवं प्रतिपक्षी नं0 1 ता 7 के शामलाती कब्जें काश्त की भूमि ख0नं0 95 रकबा 0.88 हे0, ख0नं0 361 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.95 हे0 भूमि वाके ग्राम बमूली तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि प्रतिपक्षी नं0 1 ता 7 के शामलाती खातें में दर्ज चली आ रही थी, जिसमें से प्रतिपक्षी नं0 1 ने ख0नं0 95 की 0.88 हे0 भूमि में से आधी भूमि यानी 0.44 हे0 भूमि (उत्तर दिशा) बैचान कर दी और उक्त बैचान के आधार पर ख0नं0 95 की 0.44 हे0 भूमि पर प्रार्थीनी का नाम दर्ज हो चुका है। कब्जें काश्त की सहूलियत के अनुसार प्रार्थीनी का ख0नं0 95/386 की 0.31 हे0 भूमि व ख0नं0 95 की 0.44 हे0 उत्तर दिशा की ओर की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित भूमियों में से प्रार्थीनी अपनें हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है। उपरोक्त भूमि शामलाती खातें में दर्ज होनें के कारण आये दिन प्रार्थीनी व प्रतिपक्षीगण के मध्य कडता लगान जमा करनें में विवाद व झगडा होनें लग गया है। इस कारण प्रार्थीनी ने प्रतिपक्षीगण से उपरोक्त भूमि का विभाजन करानें हेतु कहा तो प्रतिपक्षीगण ने मना कर दिया। प्रतिपक्षीगण आये दिन प्रार्थीनी के कब्जें में

दखल पैदा करते है और भूमि पर आनें वाले रास्ते से होकर नहीं आनें जानें देते है और बंटवारा की कहनें पर बंटवारा करानें से इन्कार कर दिया तथा दिनांक 10.05.2013 को प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थीनी को कहा कि वे बिना बंटवारा कराये ही उपरोक्त भूमि को बैचान व खुर्द बुर्द कर देंगे व प्रार्थीनी को उसके कब्जें काश्त की भूमि पर नहीं आनें देंगे। जबकि प्रतिपक्षीगण को बिना बंटवारा कराये उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करनें व प्रार्थीनी के कब्जें काश्त में व्यवधान पैदा करनें व प्रार्थीनी के कब्जें की भूमि पर आनें–जानें से रोकनें का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिपक्षीगण ने उक्त भूमि को खुर्द बुर्द व बैचान कर दिया व प्रार्थी के कब्जें काश्त में व्यवधान पैदा किया तो प्रार्थीनी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी व प्रार्थीनी का दावा पेश करना ही बैकार हो जावेगा। प्रार्थीनी का केस प्राईमा फेसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होनें की पूर्ण सम्भावना है।

प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीनी ने निवेदन किया है कि ताफैसला दावा प्रार्थीनी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावें कि प्रतिपक्षीगण प्रार्थीनी को ग्राम बमूली तहसील दीगोद जिला कोटा में ख0नं0 95/386 रकबा 0.31 हे0, ख0नं0 318 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 322 रकबा 0.87 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.28 हे0 भूमि में से 1/4 हिस्से की ख0नं0 95/386 रकबा 0.31 हे0 भूमि एवं खाता नं0 92 पर ख0नं0 95 रकबा 0.44 हे0 उत्तर दिशा की ओर की भूमि के कब्जें काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करें, काश्त करनें से नहीं रोके और उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को खुर्द बुर्द व बैचान तथा अन्तरण नहीं करें तथा प्रतिपक्षीगण प्रार्थीनी को उसके कब्जें काश्त की भूमि पर आनें वाले रास्ते से आनें जानें हेतु नहीं रोके।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीनी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को जरिये सम्मन् तलब किया गया। प्रतिपक्षी नं0 2 ता 7 ने जवाब जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थीनी आंशिक अस्वीकार कर निवेदन किया कि प्रतिपक्षी नं0 2 ता 7 का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त भूमि को खुर्द बुर्द एवं रहन आदि नहीं करनें के बारें में एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखनें का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

प्रतिपक्षी नं0 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब में प्रार्थना पत्र प्रार्थीनी अस्वीकार कर विशेष आपत्तियों में कथन किये कि प्रार्थीनी के द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह मनगढंत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जो चलनें योग्य नहीं है तथा तथ्य छिपाकर पेश किया गया है। यह वाद माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन हेण्ड नहीं आया है, इस कारण प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है। भ्राता महेन्द्र सिंह की अन्य भूमि विभाजन में दिये जानें के कारण ग्राम बमूली की समस्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 के कब्जें में रही और उक्त ख0नं0 की भूमि प्रतिपक्षी नं0 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिपक्षी नं0 1 की भूमि में से प्रार्थीनी ने 1/2 हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्सा यानी 1/4 हिस्से की रजिस्ट्री धोखा देकर व षडयन्त्र रचकर करवा ली और उक्त विक्रय पत्र की प्रतिफल की राशि अदा नहीं की और रकम अदा करनें हेतु समय टालती जा रही है। प्रार्थीनी द्वारा प्रतिपक्षी नं0 1 को विश्वास में लेकर रजिस्ट्री करवा ली और रजिस्ट्री करवानें के बाद प्रार्थीनी के मन में बेईमानी आ गयी और उक्त अवैध विक्रय पत्र के आधार पर उक्त 1/4 हिस्से की भूमि पर प्रार्थीनी को प्रतिपक्षी नं0 1 ने कभी कब्जा नहीं दिया और आज भी सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिपक्षी नं0 1 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस कारण उक्त विकय पत्र को प्रभाव शून्य करार दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड से प्रार्थीनी का नाम हटाया जाना आवश्यक है।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिपक्षी नं0 1 ने निवेदन किया कि प्रतिपक्षी नं0 1 का जवाब पत्र स्वीकार कर प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीनी द्वारा निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये–

1. छायाप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम बमूली तहसील दीगोद सं0 2066–69 खाता नं0 91
2. छायाप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम बमूली तहसील दीगोद सं0 2066–69 खाता नं0 92
3. छायाप्रति प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस ग्राम बमूली तहसील दीगोद ख0नं0 95

इसी प्रकार मोडसिंह आत्मज इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी बमूली तहसील दीगोद ने सरस्वती बाई पत्नी प्रभूलाल जाति मीणा निवासी चोमा कोट तथा विजय सिंह आत्मज महेन्द्र सिंह वगे0 के खिलाफ वाद अन्तर्गत धारा 53–188 आर0टी0एक्ट प्रस्तुत किया तथा उक्त वाद के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के द्वारा प्रार्थी ने निवेदन किया कि ताफैसला दावा प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के खिलाफ एक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि, प्रतिपक्षीगण ग्राम बमूली तहसील दीगोद जिला कोटा की ख0नं0 95/386 रकबा 0.31 हे0, ख0नं0 318 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 322 रकबा 0.87 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.28 हे0 भूमि तथा ख0नं0 95 रकबा 0.88 हे0 भूमि पर काश्त करनें से नहीं रोके और न काश्त में व्यवधान पैदा करें और न प्रार्थी को उक्त भूमि से बैदखल करें तथा उक्त भूमि उसका उसके किसी भाग को रहन, बैचान नहीं करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और ना ही अपनें एजेन्ट से ही करवाये।

अपने उक्त कथनों के समर्थन में प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण द्वारा छायाप्रति नकल जमाबन्दी ग्राम बमूली तहसील दीगोद सम्वत् 2054 से 57 खाता नम्बर 107, छायाप्रति नकल जमाबन्दी ग्राम बमूली तहसील दीगोद सम्वत् 2070 से 73 खाता नम्बर 121 तथा छायाप्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.06.2009 एवं 22.12.2009 की प्रति प्रस्तुत की। उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के क्रम में जवाब प्रस्तुत किया।

उक्त उभय प्रकरणों में वादग्रस्त आराजी तथा पक्षकार समान होने से दोनों प्रकरणों को क्लब्ड् कर दोनों प्रकरणों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है।

हमने पक्षकारान् को अपना–अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त और युक्ति–युक्त अवसर दिया ,तथा बाद साक्ष्य विद्वान् अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीनी ने कथन किये कि प्रार्थीनी द्वारा विवादित आराजी में मोडसिंह के निहित हिस्से 1/2 में से आधा हिस्सा यानि 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद किया है, जिसका इंतकाल भी दर्ज हो चुका है, जिससे वर्तमान में प्रार्थीनी रिकॉर्डेड खातेदार हो चुकी है। खरीद के समय से प्रार्थीनी का उसके हिस्से तक की आराजी पर कब्जा है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.12.2009 में दिनांक 13.12.2010 को शुद्धि की गई, एक साल बाद शुद्धि पत्र करवाया गया। यदि प्रतिफल की राशि शेष रहती तो मोडसिंह द्वारा शुद्धि पत्र नहीं लिखवाया जाता। प्रतिपक्षीगण मात्र मेरें हिस्से तक की आराजी पर दखलंदाजी नहीं करें, हमें शेष आराजी से कोई लेना–देना नहीं है। प्रार्थीनी के हिस्से की भूमि पर मौके की यथास्थिति फरमाया

जावें तथा प्रकरण मोड सिंह बनाम सरस्वती में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट खारिज फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिपक्षी नं0 1 (मोडसिंह) ने कथन किये कि प्रार्थीनी को बैचान की गई भूमि का प्रतिफल मोडसिंह को प्राप्त नहीं हुआ तथा मौके पर आज भी मोड सिंह ही काबिज काश्त है। मोडसिंह शराबी व्यक्ति है, जिससे धोखे से प्रार्थीनी ने रजिस्ट्री करवा ली। विवादित आरजी संयुक्त खातेदारी आराजी है तथा विभाजन भी नहीं हुआ है। अतः मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा फरमाई जावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिपक्षी नं0 2 ता 7 नें कथन किये कि विवादित आराजी में हमारा 1/2 हिस्सा है। मोडसिंह शराबी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, विवादित आराजी पारिवारिक बंटवारें में मेरें हिस्से में आई थी तथा वर्तमान में कब्जा हमारा ही है। अतः यथास्थिति के आदेश फरमावें।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया, दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता उभयपक्ष के कथनों पर विधि सम्मत विचार किया। प्रार्थीनी तथा प्रतिपक्षीगण दोनों के ही द्वारा प्रस्तुत अधिकार अभिलेख (जमाबन्दी) की नकल से यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि वर्तमान में प्रार्थीनी एवं प्रतिपक्षीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीनी एवं प्रतिपक्षीगण अभिलिखित सहखातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। इस प्रकार विवादित भूमि में प्रार्थीनी तथा प्रतिपक्षीगण अभिलिखित सहखातेदार की भूमिका में है। इस प्रकार रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया प्रकरण मात्र प्रार्थीनी का नहीं है। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन करने पर पाया जाता है कि विवादित भूमि पर मात्र प्रार्थीनी का ही एकमात्र प्राईमा फैसाई प्रकरण नहीं है। क्योकि उक्त भूमि में प्रतिपक्षीगण का भी हिस्सा निहित है। प्रतिपक्षी कम 1 से उक्त विवादित आराजी (रजिस्टर्ड बैचान की गई आराजी तक) का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध होना प्रमाणित नहीं है। प्रतिपक्षी कम 1 उक्त वादग्रस्त आराजी को जरिये बेचान पंजीबद्ध विक्रय कर चुका है ऐसी सूरत में उसके खातेदारी अधिकारों का अवसान धारा 63 की उपधारा 7 के अन्तर्गत हो जाना जाहिर आता है तथा प्रार्थीनी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की गई आराजी तक प्रार्थीनी रिकॉर्डेड सहखातेदार की हैसियत रखती है।

आर0आर0डी0 1979 पेज नं0 373 गांधीलाल बनाम भूरा में अवधारित किया गया है कि "सहकृषक के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं हो सकती।"

आपत्ति नहीं है। प्रतिपक्षी नं0 1 मोडसिंह द्वारा प्रमाणित नहीं किया है कि सम्पूर्ण विवादित आराजी पर उसका कब्जा है। मूलतः प्रतिपक्षी नं0 1 मोडसिंह लगाातार वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा होने का कथन तो करता है किन्तु अपने कथन को किसी दस्तावेज के द्वारा प्रमाणित नहीं करता है। मौखिक कथन को दस्तावेजी साक्ष्य पर वरीयता नहीं दी जा सकती। प्रार्थीनी का रिकार्डेड सहखातेदार होने के नाते उसे उसके हिस्से तक ही अपरिमित क्षति होना प्रमाणित है।

चूंकि प्रकरणाधीन भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि पर जिस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1976 पेज नं0 199 श्रीमती चैनी बनाम रामकिसन में यह अवधारित किया गया है कि "संयुक्त धारण की भूमि पर प्रसारित अस्थायी निषेधाज्ञा प्रभाव शून्य है।"

आर0आर0डी0 1988 पेज नं0 316 श्रीमती धूली बनाम मांगी में प्रतिपादित किया गया है कि "साधारणतया एक सहकाश्तकार दूसरे सहकाश्तकार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता।"

प्रार्थीनी को या अन्य प्रतिपक्षीगण को विवादित आराजीयात् पर या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार हैं या होने चाहिये इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक् साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक् विचारण उपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र के आधार पर, प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक् विवेचन तथा मनन के उपरान्त हम प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अस्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार तथा प्रकरण की परिस्थितियों के मध्यनज़र प्रार्थी मोडसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थीनी सरस्वती बाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाते है।

निर्णय की प्रतियॉ दौनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे पत्रावलियॉ फैसल शुमार की जाकर रजिस्टर में खारज़ा लगाया जावे । पत्रावलियॉ नम्बर से कम की जाकर क्रमशः मूल दावा मिसल नम्बर 114/13 तथा 141/14 के साथ संलग्न की जावे ।

निर्णय आज दिनॉक 26/02/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद